अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 29.09.2016

क्रमांक 1578/मप्रविनिआ/2016. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (यत) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (स्मार्ट ग्रिड) विनियम, 2016

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना विस्तार तथा प्रारंभ :–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (स्मार्ट ग्रिड) विनियम, 2016'** है । (जी–41, वर्ष 2016)

(2) ये विनियम समस्त विद्युत उत्पादक कम्पनियों, विद्युत पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य के उपभोक्ताओं को जो राज्य ग्रिड से संयोजित हैं, को लागू होंगे।

(3) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

(4) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम '' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003

(ख) ''उन्नत मापयंत्र अधोसंरचना (ए.एम.एआई))'' जिनमें स्मार्ट मापयंत्र सम्मिलित है से अभिप्रेत है ऐसी अधोसंरचना से है जिसकी आवश्यकता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को शुद्ध रूप से उपभोक्ताओं से वास्तविक–समय खपत का संग्रहण करने, अनुश्रवण तथा विश्लेषण करने, मूल्य संकेतों का संप्रेषण करने तथा जहां अनुज्ञेय किया जाए भार को नियंत्रण करने में समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित है;

(ग) ''संकलनकर्ता'' का से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक या एक से अधिक सेवाओं, जैसे कि मांग अनुक्रिया प्रणाली आदि के अन्तर्गत मांग अनुक्रिया सेवाओं वितरित विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संग्रहण, आदि के संकलन हेतु पंजीकृत है ;

(घ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(ड) ''सायबर सुरक्षा'' से अभिप्रेत है सूचना, उपकरण, यंत्रों, संगणक (कम्प्यूटर), संगणक संसाधन, तन्त्र (नेटवर्क), क्रमबद्ध अनुदेशों के समुच्चयों (प्रोग्रामों), आंकड़ों, संचार तंत्र तथा उसमें संग्रहीत सूचना को अवैध अथवा अनभिप्रेत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, विच्छेदन, संशोधन अथवा नष्ट करने से सुरक्षा प्रदान करने से है;

(च) ''विद्युत ऊर्जा संग्रहण '' से अभिप्रेत प्रौद्योगिकी के ऐसे समुच्चय से है जो पूर्व में उत्पादित विद्युत ऊर्जा के भण्डारण तथा बाद में इसे किसी भी समय पर ग्रिड को पोषित करने हेतु सक्षम है । विद्युत संग्रहण प्रौद्योगिकियां ऊर्जा का संग्रहण स्थितिज , गतिज , रासायनिक अथवा ताप ऊर्जा के रूप में कर सकती हैं तथा इनमें शामिल हैं विभिन्न प्रकार की बैटरियां, गतिपालक–चक्र , विद्युत रासायन , संधारित्र , सम्पीड़ित वायु संचायक , ताप संचायक यंत्र तथा उत्थापित जल विद्युत ऊर्जा जो प्रणाली को विद्युत उत्पादन के लिए सक्षम बनाते हैं ;

(छ) ''अन्तर्परिचालन सुयोग्यता'' से अभिप्रेत है एक क्रियात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो प्रणालियों अथवा सॉफ्टवेयर घटकों के मापन को सुगम बनाने के एकीकरण;

(ज) ''मुख्य निष्पादन संकेतक'' निष्पादन मापन का एक प्रकार है जो इसकी सफलता का मूल्यांकन करता है या फिर किसी विशिष्ट गतिविधि जिसके अन्तर्गत वह नियोजित है, के परिणाम का मूल्यांकन करता है;

(झ) ''लघु ग्रिड'' एक प्रज्ञावान विद्युत वितरण प्रणाली है जो भारों, वितरित ऊर्जा संसाधनों तथा संग्राहक को मुख्य गिड के संबंध में एकल नियंत्रणीय इकाई के रूप में कार्य करने बाबत परिभाषित विद्युत परिसीमाओं के अन्तर्गत परस्पर संयोजित करती है । एक सूक्ष्म ग्रिड सूचना, सम्प्रेषणों तथा नियंत्रक प्रौद्योगिकियों का उपयोग प्रणाली के वितरित विद्युत प्रदाय तथा मांग संसाधनों को नियंत्रित तथा समन्वित विधि के अनुरूप मुख्य ग्रिड से संयोजित करते हुए या फिर द्वैपक तौर पर भी परिचालन हेतु करती है । एक सूक्ष्म ग्रिड स्वयं को ग्रिड से संयोजित तथा विच्छेदित कर सकती है ताकि यह दोनों ग्रिड–संयोजित अथवा द्वैपीय पद्धति में परिचालन हेतु सक्षम होती है ;

(ञ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;

(ट) ''स्मार्ट ग्रिड'' एक विद्युत तन्त्र (नेटवर्क) है जो लागत–दक्ष विधि द्वारा इससे जुड़े समस्त प्रयोक्ताओं जैसे कि, विद्युत उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा वे जो दोनों गतिविधियों का निष्पादन करते हैं के व्यवहार तथा क्रियाओं को संयोजित करते हैं जिसके अनुसार मितव्ययी तौर पर सुदक्ष, टिकाऊ विद्युत प्रणालियों का संचालन मय न्यून हानियों के तथा गुणवत्ता से युक्त विद्युत प्रदाय की सुरक्षा तथा इससे बचाव के उच्च स्तर को सुनिश्चित किया जा सकता है ;

(ठ) ''वृहद् क्षेत्र मापन प्रणालियां'' एक उन्नत मापन प्रौद्योगिकी, सूचना उपकरण तथा परिचालन अधोसंरचना है जो सुरक्षित तथा विश्वसनीय ग्रिड संचालन हेतु प्रणाली के

परिचालक को ''पारिस्थितक जागरूकता '' हेतु उसे विद्युत प्रणालियों द्वारा प्रदर्शित बढ़ते हुए जटिल व्यवहार को समझने तथा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए है, किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होंगे जैसा कि इन्हें अधिनियम, नियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट किया गया हो ।

स्मार्ट ग्रिड के उद्देश्य तथा दिशा–निर्देश

3. स्मार्ट ग्रिड के उद्देश्य

(1) इन विनियमों के उद्देश्य विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिचालन व्यवस्थाओं में मितव्ययता, दक्षता तथा सुधार लाए जाने हेतु विभिन्न स्मार्ट ग्रिड, प्रौद्योगिकियों तथा उपायों को एकीकृत किए जाने हेतु समर्थ बनाना, पारेषण तथा वितरण तन्त्रों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, तन्त्र सुरक्षा में वृद्धि करना, ग्रिड तथा सूक्ष्म ग्रिडों के अन्तर्गत नवकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा से एकीकृत करना है ।

(2) उद्देश्यों में तन्त्र दृष्टिक्षेत्र तथा पहुंच में वृद्धि करना, अनुकूलतम परिसम्पत्ति उपयोग का संवर्धन करना, उपभोक्ता सेवा स्तरों में सुधार करना भी शामिल है जिसके अनुसार विद्युत क्षेत्र में मूल्य कड़ी के आरपार अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी अंगीकरण, विशेष रूप से पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रचालन में सहभागिता को अनुज्ञेय किया जाता है ।

4. स्मार्ट ग्रिड प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश

(1) आयोग, समय–समय पर, विद्युत उत्पादक कम्पनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा जो निम्न गतिविधियों के निष्पादन तक ही सीमित न होंगे :

(क) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों का प्रतिपादन

(ख) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

(ग) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों का लागत प्रभोत्पादक आकलन

(घ) स्मार्ट ग्रिड योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना तथा प्रतिवेदित करना

(ड़) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों की अनिवार्य आवश्यकताएं

(च) उपभोक्ता नियोजन तथा सहभागिता (छ) प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

(ज) स्मार्ट ग्रिड योजनाओं को स्थापित करने की विधि तथा निधीयन स्तर

(झ) आधारभूत विकास संरचना तथा सूचना प्रणाली आवश्यकताएं

(2) इस प्रकार जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देश विद्युत उत्पादक कम्पनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्मार्ट ग्रिड योजना को तैयार करने बाबत पूर्वपेक्षी न होंगे ।

स्मार्ट ग्रिड प्रकोष्ठ

5. स्मार्ट ग्रिड प्रकोष्ठ का गठन, इसकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व

(1) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर, स्मार्ट ग्रिड प्रकोष्ठ का गठन करना अनिवार्य होगा ।

(2) इस प्रकार गठित किए गए स्मार्ट ग्रिड प्रकोष्ठ को इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों के निष्पादन हेतु आवश्यक प्राधिकार होगा जिसके लिए आवश्यक संसाधनों का प्रावधान किया जाएगा ।

(3) स्मार्ट ग्रिड प्रकोष्ठ निम्न कार्यों हेतु उत्तरदायी होगा :

(क) आधार–रेखा अध्ययन तथा आंकड़ों को विकसित करना

(ख) स्मार्ट ग्रिड योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं को प्रतिपादित करना

(ग) स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं का रूपांकन करना तथा इन्हें विकसित करना, जिसमें सम्मिलित हैं लागत लाभ विश्लेषण, कार्यान्वयन संबंधी योजना, अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन तैयार करने, तथा मापन एवं सत्यापन;(घ) स्मार्ट ग्रिड योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना

(च) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना

(छ) अन्य कोई अतिरिक्त कृत्य जैसा कि वहां आयोग द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऊर्जा दक्षता, मांग–परक प्रबंधन तथा स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन से संबंधित इन गतिविधियों को उक्त प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संयोजित कर सकेगा ।

स्मार्ट ग्रिड प्रक्रिया

6. आधार–रेखा अध्ययन तथा आंकड़ों का विकास

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्वप्रथम स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों हेतु लक्ष्यों तथा अन्तिम परिणामों को चिन्हांकित करने हेतु आधार–रेखा अध्ययन का कार्य हाथ में लिया जाएगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक आंकड़ा आधार भी तैयार किया जाएगा ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विशिष्ट दक्षता प्रौद्योगिकियों तथा अनुप्रयोगों के नियोजन की संभावनाओं के आकलन, मुख्य निष्पादन संसूचकों को स्थापित करने तथा विद्यमान आधार–रेखा तकनीकी परिस्थितियों के अवधारण हेतु अध्ययन कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

(3). आधार–रेखा अध्ययन के परिणामों के आधार पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम विकसित करेंगे ।

7. स्मार्ट ग्रिड योजना, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का प्रतिपादन

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी बहुवर्षीय टैरिफ याचिका अथवा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकतायाचिका के साथ आयोग के अनुमोदन हेतु एक एकीकृत बहुवर्षीय स्मार्ट ग्रिड योजना अपने–अपने तत्संबंधी अनुज्ञप्त क्षेत्रों हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

(2) समस्त स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं, आयोग द्वारा जारी पूंजीगत व्यय हेतु दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, पूंजी निवेश के पूर्व अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(3) स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं हेतु प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन;

(ख) क्रेता को नियोजित करना तथा सहभागिता योजना, जैसी कि वह लागू हो;

(ग) प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण योजना; और

(घ) अन्य कोई जानकारी, जैसी कि वह आयोग द्वारा समय–समय पर बताई जाए;

परन्तु यह कि ग्रिड योजना के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम जिसमें सम्मिलित होगा से परियोजना का समग्र रूप वर्णन, परियोजना का उद्देश्य तथा आधार, तकनीकी संभाव्यता अध्ययन, प्रक्षेपित वित्तीय भार, लक्ष्यबद्ध हितधारक, विस्तृत लागत–लाभ विश्लेषण, ऐसी समस्त लागतों के विवरण जो

प्रकृति से गुणात्मक तथा परिमाणात्मक हैं, आयोग द्वारा जारी लागत प्रभावोत्पादक दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं, लागतों की वसूली हेतु प्रस्तावित क्रियाविधि, प्रदाय रणनीति, क्रियान्वयन क्रियाविधि, विद्युत–प्रदाय रणनीति, क्रियान्वयन क्रियाविधि, क्रियान्वयन अनुसूची, निष्पादन प्रोत्साहन , यदि कोई हों, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन योजना, हितधारकों के मध्य जागरूकता में वृद्धि करना ।

(4) स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के निर्देशात्मक, घटकों की सूची अनुसूची–1 में संलग्न की गई है।

8. स्मार्ट ग्रिड योजना, कार्यक्रम परियोजना अभिलेख का अनुमोदन

(1) आयोग, स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम तथा परियोजना को अनुमोदित करेगा, यदि यह विनियमों के उपबंधों के अनुसार दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप है ।

(2) आयोग, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के परीक्षण हेतु ऐसे विशेषज्ञों की सहायता तथा परामर्श प्राप्त कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

(3) आयोग, प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करते समय कार्यक्रम तथा परियोजना, से संबंधित लागतों को, यदि कोई हों, चिन्हांकित कर सकेगा तथा ऐसी लागतों की वसूली के बारे में विधि, प्रक्रिया, क्रियाविधि निर्धारित कर सकेगा ।

परन्तु, आयोग, परियोजना के जीवनकाल के दौरान पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु निष्पादन, क्रियान्वयन तथा निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन क्रियाविधि निर्दिष्ट कर सकेगा । आयोग, सहभागी उपभोक्ताओं को स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों में सक्रिय तथा प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन भी निर्दिष्ट कर सकेगा;

परन्तु यह और कि आयोग, समग्र उद्देश्यों से सुसंगत प्रस्तावों में उपांहरण भी कर सकेगा, जैसा कि वे उचित समझे जाएं ।

9. स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निष्पादन

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, परियोजना तथा कार्यक्रम के निष्पादन का दायित्व आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदनार्थ तथा आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों के अनुसार वहन करेंगे ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सामान्यतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्रणाली मानकों को अपनाएंगे । ऐसे प्रकरण में जहां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोई मानक या विनियम अनुसूचित न किए गए हों वहां समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित उपयुक्त मानक लागू होंगें । तन्त्र (नेटवर्क), संचार, उत्पादों, अन्तर्परिचालन योग्यता तथा सायबर सुरक्षा के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरोया फिर इसी प्रकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लागू किए गए मानक अपनाए जाएंगे । जहां ऐसे मानक पृथक् से संस्थापित न किए गए हों वहां क्रमिक रूप से मानकों का उक्त अनुक्रमानुसार परिपालन किया जाएगा ।

(3) आयोग द्वारा यथाअधिसूचित निष्पादन के मानकों से संबंधित विनियम लागू होंगे। स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के निष्पादन का आकलन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन के बारे में उसे प्रोत्साहन/दण्ड प्रदान करने बाबत् किया जाएगा । आयोग, अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु निष्पादन के अतिरिक्त मानकों का क्रियान्वयन तथा प्रस्तावित स्मार्ट ग्रिड निष्पादन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने विनिर्दिष्ट करेगा ।

(4) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता आंकड़ों तथा उपभोक्ता निजता को उच्चतम स्तरों पर प्राथमिकता प्रदान की जाए ।

10. लागत की वसूली हेतु क्रियाविधि

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यक्रमों के नियोजन, रूपांकन तथा क्रियान्वयन से संबद्ध शुद्ध धनात्मक लागतों , यदि कोई हों, को चिन्हांकित किया जाएगा ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी शुद्ध धनात्मक लागतों की वसूली हेतु विद्युत–दर के माध्यम से या फिर किसी अन्य क्रियाविधि द्वारा पद्धति प्रस्तावित कर सकेंगे।

(3) लागत वसूली हेतु अर्हता के प्रयोजन से प्रत्येक कार्यक्रम को

क. क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा

ख. पूर्व अनुमोदित कार्यक्रम को योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा

स्मार्ट ग्रिड परियोजना मूल्यांकन

11. स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम, परियोजना पूर्ण किए जाने संबंधी प्रतिवेदन

(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक विस्तृत कार्यक्रम, परियोजना पूर्ण किए जाने संबंधी प्रतिवेदन तैयार करेंगे । ऐसे कार्यक्रम पूर्ण होने के एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करेंगे ।

(2) इस प्रतिवेदन में कार्यक्रम, परियोजना व्यय, भौतिक उपलब्धियां प्रतिबंध, कठिनाईयां जिनका सामना किया गया हो तथा विचलन, यदि कोई हों, संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाएगा ।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यपूर्ण करने संबंधी प्रतिवेदन को अपनी वैबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

12. स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम, परियोजना के निष्पादन के प्रदर्शन का अनुश्रवण, मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन

(1) स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम तथा परियोजना का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समुचित विधि पर आधारित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत मुख्य निष्पादन संकेतक जैसा कि इनके बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए तथा उपयुक्त मापन तथा सत्यापन नयाचार , जैसा कि वे आयोग द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक कार्यक्रमों, परियोजनाओं के बारे में चिन्हांकित, उपयोग किए जाएं, शामिल किए जाएंगे ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को मूल्यांकन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें समग्र रूप से परिणामों, लाभों, अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई शिक्षा तथा भविष्यगामी मार्ग संबंधी समस्त पहलू सम्मिलित होंगे ।

13. विविध

(1) आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा । यदि इन विनियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग इन विनियमों में किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न हो जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) आयोग, समय–समय पर, विनियमों के क्रार्यान्वयन तथा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आदेश तथा निर्देश जारी कर सकेगा ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव

अनुसूची

(विनियम 7 देखिए)

स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के निर्देशात्मक घटकों की सूची

क. स्वचालित मापयंत्र अधोसंरचना

ख. मांग अनुक्रिया

ग. सूक्ष्म–ग्रिड

घ. वितरण स्काडा/प्रबंधन

ड. वितरित विद्युत उत्पादन

च. शीर्ष–भार प्रबंधन

छ. अवरोध प्रबंधन

ज. परिसम्पत्ति प्रबंधन

झ. वृहद क्षेत्र मापन प्रणालियां

ञ. ऊर्जा संग्राहक परियोजनाएं

ट. नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का ग्रिड से समकालन करना

ठ. विद्युत साधन, ग्रिड से साधन तथा साधन से ग्रिड अन्तर्क्रिया

ड. स्मार्ट ग्रिड आंकड़ा संग्रहण तथा विश्लेषण

ढ. विद्युत–दर क्रियाविधि, अवरूद्ध तथा गतिशील विद्युत–दरें, उपयोग का समय, विवेचनात्मक शीर्ष मूल्य निर्धारण, वास्तविक समय मूल्य निर्धारण आदि